न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/386

ग्रामवासियान ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद जिला कोटा जरिये :–

1. सत्यनारायण आत्मज पन्नालाल जाति ब्राह्मण ।
2. मेघराज आत्मज रमणि शंकर जाति मीणा ।
3. कुंज बिहारी आत्मज रामस्वरूप जाति मीणा ।
4. रामकरण आत्मज मोती लाल जाति मीणा ।
5. अगम बाबू आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा निवासीगण ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––––अपीलान्ट

बनाम

1. महेन्द्र कुमार आत्मज पूनमचन्द (नाम तर्क) ।
2. अशोक कुमार आत्मज पूनमचन्द ।
3. प्रदीप कुमार आत्मज पूनमचन्द ।
4. प्रकाश कुमारी पुत्री पूनम चन्द (नाम तर्क) ।
5. पारस बाई पुत्री पूनमचन्द ।
6. विमला बाई पुत्री पूनम चन्द (नाम तर्क) ।
7. ऊषा बाई पुत्री पूनमचन्द (नाम तर्क) ।
8. प्रमिला पुत्री पूनमचन्द जाति महाजन निवासीगण शिवदास घाट की गली रामपुरा कोटा
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद ।

––––रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री उत्पल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 26.08.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 172 की रकबा 2.65 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है । उक्त भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 167 रकबा 16 बीघा 02 बिस्वा थी । ग्राम मण्डोला में एक तालाब स्थित है जिसके पेटे उक्त भूमि है जो राजस्व रिकॉर्ड में बंजड दर्ज है । मौके पर उक्त भूमि तालाब की बीहड भूमि है और सदैव से तालाब का पानी इस बीहड में भरा रहता है जिसमें ग्रामवासियान के मवेशी पानी पीने जो है । इस कारण उक्त भूमि प्रतिवादीगण के खाते से हटायी जाकर उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में तालाब बीहड के खाते दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की है । उक्त भूमि का उपयोग उपभोग ग्रामवासियान अपने मवेशियों के पानी पीने के काम में करते चले आ रहे हैं । प्रतिवादीगण उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज होने से बेचान करने पर आमादा हो गये हैं ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी को तालाब की बीहड की भूमि घोषित किया जावे । राजस्व रिकॉर्ड से उक्त भूमि प्रतिवादीगण के खाते हटायी जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजी को वे रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द तथा किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में किस्म मेरघास के रूप में दर्ज थी जिसे सेटलमेंट विभाग द्वारा अधिकार क्षेत्र से बहार जाकर बिना किसी आदेश के किस्म परिवर्तन कर रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को लोक अदालत की कोई सूचना नहीं दी और अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर एकपक्षीय रूप से बिना किसी साक्ष्य के निर्णय पारित करते हुए वाद वादीगण खारिज कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई हेतु लोक अदालत का नोटिस जारी किये बिना अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.06.2016 को वकील साहब से मिलने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद जिला कोटा में साबिक खसरा नम्बर 167 रकबा 16 बीघा 02 बिस्वा थी जो राजस्व रिकॉर्ड में किस्म मेरघास के रूप में दर्ज थी । सेटलमेंट विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर आराजी की किस्म परिवर्तान कर रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज की गई है जो अवैधानिक है । लोक अदालत का कोई नोटिस अपीलान्ट को नहीं दिया गया और अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर बिना किसी साक्ष्य के दावा वादी खारिज किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । वादग्रस्त आराजी की किस्म मेरघास है, मौके पर तलाब का पानी वर्षभर भरा रहता है जो ग्रामवासियान की मवेशी के लिए काम आता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में ग्रामवासियान की ओर से दावा पेश किया है परन्तु आदेश 01 नियम 08 सीपीसी की पालना नहीं की गई है । वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं हैं । आराजी के खातेदार रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी हैं । रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी के खाते की आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है जो विधि– विरूद्ध है । अपीलान्टगण ने दौराने अपील रेस्पोडेन्ट क्रम 1, 4, 6 व 7 की मृत्यु हो जाने पर उनका नाम डिलीट करने की प्रार्थना की है । चूँकि रेस्पोडेन्ट क्रम 1, 4, 6 व 7 वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार हैं और वादी ने इनकी आराजी के लिए घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलान्ट की अपील आवश्यक पक्षकार के अभाव में चलने योग्य नहीं है । अपने पक्ष के समर्थन में आरबीजे (5) 1998 पेज 60 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अपीलान्टगण ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.06.2015 के खिलाफ यह अपील पेश की है । दिनांक 13.12.2019 को अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें यह अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1, 4, 6 व 7 का स्वर्गवास हो गया है जिनके विरूद्ध प्रार्थीगण को कोई सहायता नहीं चाहिए । अतः नाम डिलीट किया जावे । इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्टगण ने पेश नहीं किया है । प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपीलान्ट स्वीकार कर नाम तर्क करने की अनुमति दी जाती है ।

12. रेस्पोडेन्ट क्रम 1, 4, 6 व 7 पूनमचन्द के विधिक वारिस हैं और वादग्रस्त आराजी पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2034–37 के अनुसार पूनमचन्द के खाते में दर्ज है और । नकल जमाबन्दी सवंत् 2065–68 के अनुसार वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण के खाते में दर्ज

है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के बाबत् हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता चाहते हैं । ऐसी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज समस्त सहखातेदार प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं और रेस्पोडेन्ट कम 1, 4, 6 व 7 जो कि वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार हैं उनका नाम डिलीट किये जाने की स्थिति में अपील आवश्यक पक्षकारों के अभाव में चलने योग्य नहीं है । तद्नुसार अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 26.08.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26.8.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16/386

ग्रामवासियान ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद जिला कोटा जरिये :–

1. सत्यनारायण आत्मज पन्नालाल जाति ब्राह्मण ।
2. मेघराज आत्मज रमणि शंकर जाति मीणा ।
3. कुंज बिहारी आत्मज रामस्वरूप जाति मीणा ।
4. राजाराम पुत्र नेनगीलाल जाति गुर्जर ।
5. रामकरण आत्मज मोती लाल जाति मीणा ।
6. पुष्पचन्द पुत्र रामनाथ जाति मीणा ।
7. अगम बाबू आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा निवासीगण ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. महेन्द्र कुमार आत्मज पूनमचन्द (नाम तर्क) ।
2. अशोक कुमार आत्मज पूनमचन्द ।
3. प्रदीप कुमार आत्मज पूनमचन्द ।
4. विनोद कुमारी पुत्री पूनमचन्द ।
5. प्रकाश कुमारी पुत्री पूनम चन्द (नाम तर्क) ।
6. पारस बाई पुत्री पूनमचन्द ।
7. कौशल्या बाई पुत्री पूनम चन्द ।
8. विमला बाई पुत्री पूनम चन्द (नाम तर्क) ।
9. ऊषा बाई पुत्री पूनमचन्द (नाम तर्क) ।
10. प्रमिला पुत्री पूनमचन्द जाति महाजन निवासीगण शिवदास घाट की गली रामपुरा कोटा
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 124/दावा/2012

ग्रामवासियान ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद जिला कोटा जरिये :–

1. सत्यनारायण आत्मज पन्नालाल जाति ब्राह्मण ।
2. मेघराज आत्मज रमणि शंकर जाति मीणा ।
3. कुंज बिहारी आत्मज रामस्वरूप जाति मीणा ।
4. राजाराम पुत्र नेनगीलाल जाति गुर्जर ।
5. रामकरण आत्मज मोती लाल जाति मीणा ।
6. पुष्पचन्द पुत्र रामनाथ जाति मीणा ।
7. अगम बाबू आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा निवासीगण ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––वादी

बनाम

1. महेन्द्र कुमार आत्मज पूनमचन्द (नाम तर्क) ।
2. अशोक कुमार आत्मज पूनमचन्द ।
3. प्रदीप कुमार आत्मज पूनमचन्द ।
4. विनोद कुमारी पुत्री पूनमचन्द ।
5. प्रकाश कुमारी पुत्री पूनम चन्द (नाम तर्क) ।
6. पारस बाई पुत्री पूनमचन्द ।
7. कौशल्या बाई पुत्री पूनम चन्द ।
8. विमला बाई पुत्री पूनम चन्द (नाम तर्क) ।
9. ऊषा बाई पुत्री पूनमचन्द (नाम तर्क) ।
10. प्रमिला पुत्री पूनमचन्द जाति महाजन निवासीगण शिवदास घाट की गली रामपुरा कोटा
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

यह अपील तारीख 26.08.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर अपीलान्ट की ओर से एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री उत्पल शर्मा के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2015 बहाल रखाज जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 26.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

26.8.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा